न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक

(रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 130 / 2017
निर्णय दिनांकः– 19.03.2021

उनवान

1. बिलास पुत्र गंगाराम दत्तक पुत्र हीरालाल उर्फ हीरा जाति मीना निवासी आंसलगांव तहसील उनियारा जिला टोंक

– प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती मन्नी देवी पत्नि कजोड जाति मीना निवासी आंवसगांव तहसील उनियारा जिला टोंक
2. तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक
3. दी सैण्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक लि0 शाखा उनियारा जरिये शाखा प्रबंधक

– अप्रार्थीगण

दावा बाबत् घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 सीपीसी

उपस्थितः– श्री बाबूलाल जैन वकील प्रार्थी
श्री कन्हैयालाल ठाडा अप्रार्थीगण

एवं

दावा संख्या :– 119 / 2014
निर्णय दिनांकः– 19.03.2021

उनवान

1. श्रीमती मन्नी देवी पत्नि कजोड जाति मीना निवासी आंवसगांव तहसील उनियारा जिला टोंक – प्रार्थी

बनाम

1. बिलास पुत्र गंगाराम दत्तक पुत्र हीरालाल उर्फ हीरा जाति मीना निवासी आंसलगांव तहसील उनियारा जिला टोंक
2. जसौदा पत्नी बिलास जाति मीना निवासी आंसलगांव तहसील उनियारा जिला टोंक
3. रामसहाय पुत्र बिलास जाति मीना निवासी आंसलगांव तहसील उनियारा जिला टोंक
4. रूपचन्द पुत्र बिलास जाति मीना निवासी आंसलगांव तहसील उनियारा जिला टोंक
5. फोरन्ती पत्नी रूपचन्द जाति मीना निवासी आंसलगांव तहसील उनियारा जिला टोंक
6. शंकरी पत्नी रामसहाय जाति मीना निवासी आंसलगांव तहसील उनियारा जिला टोंक
7. बोलताराम पुत्र बिलास जाति मीना निवासी आंसलगांव तहसील उनियारा जिला टोंक
8. काली पत्नी बोलताराम जाति मीना निवासी आंसलगांव तहसील उनियारा जिला टोंक
9. तहसीलदार उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

वाद स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः— श्री कन्हैयालाल ठाडा वकील प्रार्थी
श्री बाबूलाल जैन अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त मे निम्न प्रकार हैः—

यह कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि ख0न0 140 रकबा 0.31, ख0न0 143 रकबा 0.21, ख0न0 143/705 रकबा 0.10, ख0न0 629 रकबा 0.98, ख0न0 120 रकबा 0.60 है0 कुल 5 कुल रकबा 2.20 है वाके ग्राम नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक में स्थित है। उक्त भुमि स्व0 हीरा की खातेदारी की भुमि थी। स्व0 हीरा के एक औलाद गंगाधर पुत्र था जो पागल अवस्था मे जिसकी मृत्यु हो चुकी है और वह वादी के पास ही रहता था। वादी को बचपन मे ही गोद ले लिया था तथ उसके जीवनकाल से ही उनकी समस्त चल अचल सम्पति की देखरेख वादी ही करता चला आ रहा है । स्व0 हीरालाल जी के जीवनकाल से ही उक्त आराजी पर वादी का निरन्तर कब्जा काश्त है वादी के पुर्व स्व0 हीरालाल का कब्जा काश्त था, उसकी मृत्यु के पश्चात उनकी सम्पति का एक मात्र उत्तराधिकारी वादी है इस प्रकार वादी का उक्त आराजी पर चालीस वर्ष से भी अधिक वर्षो से कब्जा काश्त है। स्व0 हीरालाल को कोई औलाद नही होने से उनकी भूमि को हडपने की नियत से स्व0 हीरालाल से उनकी वृद्वावस्था मे प्रतिवादी न0 1 के पति ने धोखाधडी कर उक्त भूमि प्रतिवादी न0 1 के नाम महज राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम अंकित करवा ली, जबकि आज दिन तक प्रतिवादी न0 1 की कभी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा।

उक्त भूमि धोखादडी से महज कागजी कार्यवाही कर बिना भूमि पर कब्जा लिए प्रतिवादी न0 1 के नाम दर्ज करना अपने आप से प्रभाव शून्य हैं तथा उक्त भूमि पर वादी का निरन्तर चालीस वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त होने एवं प्रतिवादी न0 1 के खातेदारी मे अंकित होने के पश्चात भी आज तक उक्त आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त होने से वादी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीया न0 1 के स्थान पर वादी अपना नाम अंकित दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं ।

यह कि वादी की अधियाचना हैं कि वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 140 रकबा 0.31, ख0न0 143 रकबा 0.21, ख0न0 143/705 रकबा 0.10, ख0न0 629 रकबा 0.98, ख0न0 120 रकबा 0.60 है0 कुल 5 कुल रकबा 2.20 है वाके ग्राम नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक का वादी को खातेदार काष्तकार घोषित किया एवं प्रतिवादी न01 को नाम डिलीट किया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जाकर तदानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे तथा प्रतिवादीया न0 1 को पाबन्द किया जावे कि वे उक्त आरातजी में किसी प्रकार की मजाहमत व

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

मदाखलत नही करे, ना भूमि रहन, बैचान या हस्तानान्तरण करे, ना तो स्वयं और ना ही जरिये एजेन्ट, नोकर पारिवारिक या प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा ही करावे, हमेशा हमेशा के लिए पाबन्द रहे।

उक्त वाद श्रीमान भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी टोंक से रिमाण्ड होकर पेष होने पर रिपोर्ट सरिस्ते ली जाकर दावा दर्ज रजिस्टर का प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी न0 1 की ओर से जवाब दावा पेश नही करने से उनका जवाब दावा दिनांक 10.06.2019 को बन्द किया गया।

वादी की ओर से अपने वाद के समर्थन मे निम्न दस्तावेजात नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी सम्वत 2027–2030 प्रदर्श 2, नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी सम्वत 2065–2068 प्रदर्श 4, नक्शा ट्रेस प्रदर्श 5,असल गोदनामा प्रदर्श 6, असल तहरीर प्रदर्श 7, राजीनामा प्रदर्श 8 व 9, नकल नामान्तरकरण प्रदर्श 10 व 11 प्रस्तुत किये गये है।

वादी वकील ने अपने वाद पत्र के समर्थन मे पी0डब्लू01 बिलास, पी0डब्लू0 2 परसराम, पी0डब्लू0 3 मथूरालाल, पी0डब्लू0 4 बंशी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

प्रार्थी प्रतिवादीया न0 1 के अधिवक्ता ने दिनांक 24.09.2019 को प्रार्थना पत्र तहत आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. पेष किया कि आराजी ख0न0 140 रकबा 0.31, ख0न0 143 रकबा 0.21, ख0न0 143/705 रकबा 0.10, ख0न0 629 रकबा 0.98, ख0न0 120 रकबा 0.60 है0 कुल 5 कुल रकबा 2.20 है वाके ग्राम नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक का हीरा ने जरियें रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08. 1989 को प्रतिवादीयां न0 1 मन्नी देवी पत्नी कजोड़ मीना निवासी आंसलगावं को विक्रय कर मोके पर काबिज करवा दिया था तब से गत 30 वर्षो से प्रतिवादीया वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चली आ रही है। वादी ने अपने वाद मे यह भी अंकित नही किया कि प्रतिवादीया ने उक्त आराजीयात जरियें रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी, बल्कि यह अंकित किया है कि गलत रूप से खातेदारी मे लगाई गई है। अगर उक्त विक्रय पत्र के बारे मे कोई उज्रदारी थी तो वादी को सिविल न्यायालय मे वाद पेश कर उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाना चाहिए, परन्तु अभी तक किसी भी न्यायालय मे उक्त विक्रय पत्र दिनांक 04.08.1989 को चेलेन्ज नही किया गया हैं । वादी ने जानबूझकर वास्तविक तथ्य छिपाकर यह वाद प्रस्तुत किया है। अतः वाद इसी स्टेज पर मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वादी अप्रार्थी के अधिवक्ता ने द्धारा प्रार्थना पत्र तहत आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी.का जवाब प्रस्तुत किया गया। वादी के वकील ने प्रार्थना पत्र तहत आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. के जवाब में कथन किया है कि वादग्रस्ता भुमि स्व0 हीरा की खातेदारी की भुमि थी। स्व0 हीरा के एक औलाद गंगाधर पुत्र था जो पागल अवस्था मे जिसकी मृत्यु हो चुकी है और वह वादी के पास ही रहता था। वादी को बचपन मे ही गोद ले लिया था तथ उसके जीवनकाल से ही उनकी समस्त चल अचल सम्पति की देखरेख वादी ही करता चला आ रहा है । स्व0 हीरालाल जी के जीवनकाल से

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

ही उक्त आराजी पर वादी का निरन्तर कब्जा काश्त है वादी के पुर्व स्व0 हीरालाल का कब्जा काश्त था, उसकी मृत्यु के पश्चात उनकी सम्पति का एक मात्र उत्तराधिकारी वादी है इस प्रकार वादी का उक्त आराजी पर चालीस वर्ष से भी अधिक वर्षो से कब्जा काश्त है। स्व0 हीरालाल को कोई औलाद नही होने से उनकी भूमि को हडपने की नियत से स्व0 हीरालाल से उनकी वृद्वावस्था मे प्रतिवादी न0 1 के पति ने धोखाधडी कर उक्त भूमि प्रतिवादी न0 1 के नाम महज राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम अंकित करवा ली, जबकि आज दिन तक प्रतिवादी न0 1 की कभी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही रहा। उक्त भूमि धोखादडी से महज कागजी कार्यवाही कर बिना भूमि पर कब्जा लिए प्रतिवादी न0 1 के नाम दर्ज करना अपने आप से प्रभाव शून्य हैं तथा उक्त भूमि पर वादी का निरन्तर चालीस वर्षो से अधिक समय से कब्जा काश्त होने एवं प्रतिवादी न0 1 के खातेदारी मे अंकित होने के पश्चात भी आज तक उक्त आराजी पर वादी का ही कब्जा काश्त होने से वादी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है तथा उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीया न0 1 के स्थान पर वादी अपना नाम अंकित दुरूस्त करवाने का अधिकारी हैं । पूर्व मे भी प्रतिवादीगण से उक्त भूमि पर मुकदमा बाजी हुई थी, जिसमे राजीनामा हो चुका है। तब से उक्त भूमि वादी के पास है। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। पत्रावली आर ए ए से रिमाण्ड होकर आई है, इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी आज तक उपस्थित नही होने की वजह से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। प्रतिवादीयां के वकील ने प्रार्थना पत्र तहत आर्डर 7 रूल 11 सी.पी.सी. में कथन को दोहराते हुए बहस मे कथन किया कि उक्त वादग्रस्त आराजी ख0न0 140 रकबा 0.31, ख0न0 143 रकबा 0.21, ख0न0 143/705 रकबा 0.10, ख0न0 629 रकबा 0.98, ख0न0 120 रकबा 0.60 है0 कुल 5 कुल रकबा 2.20 है वाके ग्राम नवाबपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक का हीरा ने जरियें रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08.1989 को प्रतिवादीयां न0 1 मन्नी देवी पत्नी कजोड मीना निवासी आंसलगावं को विक्रय कर मोके पर काबिज करवा दिया था तब से गत 30 वर्षो प्रतिवादीया वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त चली आ रही है। वादी ने अपने वाद मे यह भी अंकित नही किया कि प्रतिवादीया ने उक्त आराजीयात जरियें रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र खरीद की थी, बल्कि यह अंकित किया है कि गलत रूप से खातेदारी मे लगाई गई है। अगर उक्त विक्रय पत्र के बारे मे कोई उज्रदारी थी तो वादी को सिविल न्यायालय मे वाद पेश कर उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाना चाहिए, परन्तु अभी तक किसी भी न्यायालय मे उक्त विक्रय पत्र दिनांक 04.08.1989 को चेलेन्ज नही किया गया हैं । अतः वाद इसी स्टेज पर मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर चिंतन व मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र तथा उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया कि वादी वकील ने बहस में बताया कि बिलास का एक पुत्र था जो पागल अवस्था मे था जो वादी के पास रहता था वादी को बचपन मे ही गोद ले लिया था। वादग्रस्त भूमि वादी को संभला दी थी। इसलिए इस भूमि को बेचने का अधिकार समाप्त हो गया । मौके पर वादी का कब्जा है, जवाब दावा बंद हो चुका है और पत्रावली

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

रिमाण्ड हुई है। तथा प्रतिवादीयां अप्रार्थी के वकील ने बहस में बताया कि वादी ने तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया है। दावें में कही भी विक्रय पत्र का उल्लेख नही किया कि मन्नी के कैसे खातेदारी आई और इसका कही कोई अंकन नही किया है। हमने 04.08.1989 मे भूमि क्रय कर ली थी। ये बाद में दिनांक 18.08.1990 को गोद आए। उक्त वादग्रस्त आराजी रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से बैचान हुआ हैं। इस कोर्ट का क्षैत्राधिकार नही हैं। हीरा ने जरियें रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.08.1989 को प्रतिवादीयां न0 1 मन्नी देवी पत्नी कजोड मीना निवासी आंसलगावं को विक्रय किया गया । वादी को सिविल न्यायालय मे वाद पेश कर उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करवाना चाहिए, परन्तु अभी तक किसी भी न्यायालय मे उक्त विक्रय पत्र दिनांक 04.08.1989 को चेलेन्ज नही किया गया हैं । वाद क्षैत्राधिकार से बाहर एवं कॉज ऑफ एक्शन उत्पन्न नही होने के कारण स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है। अतः प्रार्थी प्रतिवादीगण द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 7 रूल 11 में स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 19.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रजनी मीणा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी उनियारा